

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश मध्य प्रदेश

संचालनालय ई-5 पर्यावरण परिसर अटल कालोनी, इन्डियन पब्लिक वर्क्स, भोपाल-462015

ई-मेल-mptownplan@mp.gov.in, दूरभाष-0755-2427096

क्रमांक
प्रति,

16/6
/टीसी/126/ग्वालियर/उपां/नगानि/2022

29/3/
भोपाल,दिनांक:- /03/2023

प्रबंध संचालक,
म.प्र. राज्य परिसम्पत्ति प्रबंधन कंपनी लिमिटेड,
भोपाल म.प्र.

विषय:- ग्वालियर विकास योजना, 2021 में खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की भूमि के आवासीय एवं मार्ग भूमि उपयोग में उपांतरण बाबत। (ग्राम महलगांव तहसील सिटी सेंटर जिला ग्वालियर (पुराना आरटीओ परिसर पड़ाव चौराहा) का सर्वे क्रमांक 349 का भाग कुल रकबा 0.3660 हेक्टेयर में से रकबा 0.1933 हेक्टेयर)

संदर्भ:- आपके कार्यालय का म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 23 (क) (1) (क) के अधीन आवेदन पत्र क्रमांक 1569/MPRDC/PAM/ /378/2022 दिनांक 24/02/2023.

उपरोक्त विषय में लेख है कि संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश, म.प्र. भोपाल ने ग्वालियर विकास योजना 2021 में उपांतरण प्रस्तावित किया है। अतः साधिकार समिति की बैठक में दिये गये निर्देशों के परिपालन में संलग्न सूचना, ग्वालियर नगर में प्रचलित ऐसे एक दैनिक हिन्दी और एक अंग्रेजी समाचार पत्र में प्रकाशित कराने का कष्ट करें जो कि विज्ञापन के प्रयोजनों के लिये राज्य सरकार की अनुसूची में हो तथा ग्वालियर नगर में व्यापक परिचालन में हो।

तदनुसार कृपया उक्त सूचना यथाशीघ्र प्रकाशित कराकर समाचार पत्रों की कतरनों की मूल प्रतियाँ इस संचालनालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्न :- यथोपरि

(मुकेश सुन्दर गुप्ता)

वि.क.अ.सह आयुक्त सह संचालक

नगर तथा ग्राम निवेश

म.प्र. भोपाल

भोपाल,दिनांक:- /03/2023

पृ. क्रमांक /टीसी/126/ग्वालियर/उपां/नगानि/2022

प्रतिलिपि:-

- 1 प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
- 2 आयुक्त, संचालनालय जनसम्पर्क, म.प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ।
- 3 संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, ग्वालियर की ओर लेख है कि, उक्त सूचना के प्रकाशित होने वाले दोनों समाचार पत्रों की मूल प्रतियाँ एवं निर्धारित समय सीमा में यदि कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त हो तो उसकी प्रति संचालनालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्न :- यथोपरि।

वि.क.अ.सह आयुक्त सह संचालक

नगर तथा ग्राम निवेश

म.प्र. भोपाल

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश मध्य प्रदेश

कानून संख्या 5-2016 परिसर और कालोनी, इंदौर नगर निवेश योजना के पास, भोपाल-462016

ई-मेल-mptownplan@mp.gov.in, दूरभाष-0755-2427096

सूचना

भोपाल, दिनांक:- 29/03/2023

क्रमांक 1616 /टीसी/126/ग्वालियर/उपा/नग्रानि/2022 भोपाल, - मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक-23 सन् 1973) की धारा 23-क की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन एतद् द्वारा सार्वजनिक जानकारी हेतु यह अधिसूचित किया जाता है कि, संचालक, नीचे दी गई अनुसूची में यथानिर्दिष्ट ग्वालियर विकास योजना 2021 में उपान्तरण प्रस्तावित करता है।

अनुसूची

क्रं	ग्राम/ तहसील एवं जिला	सर्वे क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		विकास योजना में निर्दिष्ट भू-उपयोग	उपान्तरण पश्चात् प्रस्तावित भू-उपयोग
			कुल रकबा	उपांतरण हेतु प्रस्तावित रकबा		
1.	महलगांव तहसील सिटी सेंटर जिला ग्वालियर (पुराना आरटीओ परिसर पड़ाव चौराहा)	349 का भाग	0.3660	0.1933	वर्तमान सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक, आवासीय एवं मार्ग	आवासीय एवं मार्ग
कुल रकबा			0.3660	0.1933		

शर्त :-

- 1 उक्त आवासीय गतिविधियों हेतु नियमन तथा विकास मानदण्ड म0प्र0 भूमि विकास नियम, 2012 एवं ग्वालियर विकास योजना, 2021 के प्रावधानुसार लागू होंगे।
- 2 स्थल पर स्थित वृक्षों को यथासंभव यथास्थिति में रखा जाना आवश्यक होगा एवं वृक्षों को हटाने की दशा में संबंधित विभाग से अनुमति अनिवार्य होगी।
- 3 प्रश्नाधीन भूमि के सम्मुख विद्यमान मार्ग की चौड़ाई ओव्हर ब्रिज सहित ग्वालियर विकास योजना, 2021 में 30.00 मीटर निर्दिष्ट है। अतः रोड ओव्हर ब्रिज के पश्चात प्रश्नाधीन भूमि तक न्यूनतम 7.50 मीटर चौड़े सेवा मार्ग हेतु पर्याप्त भूमि सुरक्षित रखना अनिवार्य होगा।

प्रस्तावित उपान्तरण के ब्यौरे, सूचना प्रकाशन की तिथि से 15 दिन की समयावधि के लिये आम जनता को निरीक्षण के लिये संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय ग्वालियर तथा वेबसाईट www.mptownplan.gov.in पर भी उपलब्ध होंगे।

प्रस्तावित उपान्तरण के संबंध में यदि किसी व्यक्ति के कोई आपत्ति/सुझाव हो तो, वह संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, म.प्र. भोपाल अथवा संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, ग्वालियर को दैनिक समाचार पत्रों में इस सूचना प्रकाशन होने की दिनांक से 15 दिन के भीतर लिखित में प्रस्तुत कर सकेगा एवं ऐसी आपत्तियाँ या सुझाव, जो उपर विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान होने से पूर्व प्राप्त हो, पर विचार किया जाएगा।

(मुकेश चंद गुप्ता)

वि.क.अ.सह आयुक्त सह संचालक

नगर तथा ग्राम निवेश

म.प्र. भोपाल

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश मध्य प्रदेश

कचनारा ई-5 पर्यावरण परिसर अरुण कालोनी, हनुमानपुर पुलिस थाना के पास, भोपाल-462016

ई-मेल-mptownplan@mp.gov.in, दूरभाष-0755-2427096

क्रमांक
प्रति,

/टीसी/126/ग्वालियर/उपां/नग्रानि/2022

भोपाल,दिनांक:- / /2023

- | | |
|---|--|
| 1 कलेक्टर,
जिला ग्वालियर (म.प्र.)। | 2 संयुक्त संचालक,
नगर तथा ग्राम निवेश,
जिला कार्यालय, ग्वालियर (म.प्र.)। |
| 3 मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला पंचायत,
जिला ग्वालियर (म.प्र.)। | 4 आयुक्त
नगर पालिक निगम, ग्वालियर
जिला ग्वालियर (म.प्र.)। |

विषय:-

ग्वालियर विकास योजना, 2021 में खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की भूमि के आवासीय एवं मार्ग भूमि उपयोग में उपांतरण बाबत। (ग्राम महलगांव तहसील सिटी सेंटर जिला ग्वालियर (पुराना आरटीओ परिसर पड़ाव चौराहा) का सर्वे क्रमांक 349 का भाग कुल रकबा 0.3660 हेक्टेयर में से रकबा 0.1933 हेक्टेयर)

संदर्भ:-

अपर प्रबंध संचालक, म.प्र. राज्य परिसम्पत्ति प्रबंधन कंपनी लिमिटेड, भोपाल का म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 23 (क) (1) (क) के अधीन आवेदन पत्र क्रमांक 1569/MPRDC/PAM/ /378/2022 दिनांक 24/02/2023.

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश, म0प्र0 भोपाल द्वारा ग्वालियर विकास योजना, 2021 में उपांतरण प्रस्तावित किया गया है। जिसकी सूचना जनसामान्य की जानकारी के लिये दो स्थानीय दैनिक समाचार पत्र (हिन्दी एवं अंग्रेजी) में प्रकाशन कराया जा रहा है।

नियमानुसार संलग्न सूचना को 15 दिन की समयावधि के लिये आपके कार्यालय के सूचना पटल पर प्रदर्शित करने का कष्ट करे।

संलग्न:-यथोपरि।

(मुकेश चन्द गुप्ता)

वि.क.अ.सह आयुक्त सह संचालक

नगर तथा ग्राम निवेश

म.प्र. भोपाल

भोपाल,दिनांक:- 29/3/2023

पृ. क्रमांक

1619

/टीसी/126/ग्वालियर/उपां/नग्रानि/2022

प्रतिलिपि:-

- 1- प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
- 2- संयुक्त संचालक/सहायक सूचना प्रौद्योगिकी अधिकारी, आई.टी. नगर तथा ग्राम निवेश, (म.प्र.) भोपाल क वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु सूचना की प्रति के साथ अद्योषित।

वि.क.अ.सह आयुक्त सह संचालक

नगर तथा ग्राम निवेश

म.प्र. भोपाल

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश मध्य प्रदेश

कम्प्यूटर ई-5 पर्यावरण परिसर, अरेरा नवाबगो, इन्फोटेक पुलिस थाना के पास, भोपाल-462018

ई-मेल-mptownplan@mp.gov.in, दूरभाष-0755-2427096

सूचना

भोपाल, दिनांक-29/03/2023

क्रमांक 1616 /टीसी/126/ग्वालियर/उपां/नग्रानि/2022 भोपाल, - मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक-23 सन् 1973) की धारा 23-क की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन एतद् द्वारा सार्वजनिक जानकारी हेतु यह अधिसूचित किया जाता है कि, संचालक, नीचे दी गई अनुसूची में यथानिर्दिष्ट ग्वालियर विकास योजना 2021 में उपान्तरण प्रस्तावित करता है।

अनुसूची

क्रं	ग्राम/ तहसील एवं जिला	सर्वे क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		विकास योजना में निर्दिष्ट भू-उपयोग	उपान्तरण पश्चात् प्रस्तावित भू-उपयोग
			कुल रकबा	उपांतरण हेतु प्रस्तावित रकबा		
1.	महलगांव तहसील सिटी सेंटर जिला ग्वालियर (पुराना आरटीओ परिसर पड़ाव चौराहा)	349 का भाग	0.3660	0.1933	वर्तमान सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक, आवासीय एवं मार्ग	आवासीय एवं मार्ग
कुल रकबा			0.3660	0.1933		

शर्त :-

- 1 उक्त आवासीय गतिविधियों हेतु नियमन तथा विकास मानदण्ड म0प्र0 भूमि विकास नियम, 2012 एवं ग्वालियर विकास योजना, 2021 के प्रावधानुसार लागू होंगे।
- 2 स्थल पर स्थित वृक्षों को यथासंभव यथास्थिति में रखा जाना आवश्यक होगा एवं वृक्षों को हटाने की दशा में संबंधित विभाग से अनुमति अनिवार्य होगी।
- 3 प्रश्नाधीन भूमि के सम्मुख विद्यमान मार्ग की चौड़ाई ओव्हर ब्रिज सहित ग्वालियर विकास योजना, 2021 में 30.00 मीटर निर्दिष्ट है। अतः रोड ओव्हर ब्रिज के पश्चात प्रश्नाधीन भूमि तक न्यूनतम 7.50 मीटर चौड़े सेवा मार्ग हेतु पर्याप्त भूमि सुरक्षित रखना अनिवार्य होगा।

प्रस्तावित उपान्तरण के ब्यौरे, सूचना प्रकाशन की तिथि से 15 दिन की समयावधि के लिये आम जनता को निरीक्षण के लिये संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय ग्वालियर तथा वेबसाईट www.mptownplan.gov.in पर भी उपलब्ध होंगे।

प्रस्तावित उपान्तरण के संबंध में यदि किसी व्यक्ति के कोई आपत्ति/सुझाव हो तो, वह संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, म.प्र. भोपाल अथवा संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, ग्वालियर को दैनिक समाचार पत्रों में इस सूचना प्रकाशन होने की दिनांक से 15 दिन के भीतर लिखित में प्रस्तुत कर सकेगा एवं ऐसी आपत्तियाँ या सुझाव, जो उपर विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान होने से पूर्व प्राप्त हो, पर विचार किया जाएगा।

(मुकेश चन्द गुप्ता)

वि.क.अ.सह आयुक्त सह संचालक

नगर तथा ग्राम निवेश

म.प्र. भोपाल